को दाहसंस्कार का सस्ता और वैकल्पिक साधन उपलब्ध हो सके । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वाराणसी के हरिश्चन्द्र घाट पर एक विद्युत शवदाहगृह का निर्माण हो रहा है । स्थानीय स्वयंसेवी संगठन भी नदी में शवों को न फेंकने की लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं ।

(ग) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत पटना में 31.46 करोड़ रुपये की लागत पर 28 स्कीमें और वाराणसी में 45.77 करोड़ रुपये की लागत पर 34 स्कीमें क्रमश: अभिनिर्धारित की गई हैं । 31 मार्च, 1988 तक पटना में 24 स्कीमें और वाराणसी में 29 स्कीमें क्रमश: 16.25 करोड़ रुपये और 36.15 करोड़ रुपये की लागत पर मंजूर की गई हैं । इन स्कीमों का उद्देश्य इन स्थानो पर गंगा नदी के प्रदूषण का निवारण करना है जिससे नदी जल की गुणवत्ता में सुधार हो सके । मंजूर की गई स्कीमों में से 9 स्कीमें—5 पटना में और 4 वाराणसी में पहले ही पूरी हो चुकी हैं ।

Setting up of plants in Gujarat in contravention of guidelines issued by the Central Government

176. SHRI P. N. SUKUL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the DAP plant of the Gujarat State Fertilizer Company near Okha and the Thermal Plant of the Gujarat State Electricity Board at Sikka have been installed in contravention of the guidelines issued by the Union Ministry of Environment and Forests; and

(b) if so, what action the Central Government propose to take against the management of those plants?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) and (b) The DAP Plant of the Gujarat State Fertilizer Company near Okha is under construction. The project requires environmental clearance but the requisite details are still awaited. The proposed thermal power plant of the Gujarat State Electricity Board at Sikka is extension of the existing units. Necessary environmental details sought are awaited in this case also. Environmental clearance can be considered only after the environmental details are made available.

टीपू सुल्तान के वंशज

177. **श्री पशु पति नाथ सुकुल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले टीपू सुल्तान के वंशज अब कहां हैं और किस हाल में रह रहे हैं ;

(ख) उन्हें कितनी पेंशन मिलती है; और

(ग) क्या यह पेंशन उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 में, मुख्य रूप से स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप भाग लेने वालों और परिणाम स्वरूप योजना के अधीन निर्धारित न्यूनतम यातना सहन करने वाले स्वतंत्रता सैनानियों को और उनकी मृत्यु के मामलें मे, उनकी विधवाओं को केन्द्रीय पेंशन देने की व्यवस्था है । इस प्रकार के मामले आम तौर पर योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं । फिर भी, तमिलनाडु सरकार से मालूम किया गया है कि श्रीमती आफताब बेगम जो टीपू सुल्तान की छठी पीढ़ी की वंशज होने का दावा करती है, 1944 से तमिलनाडु सरकार से 5 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन प्राप्त कर रही है । यह मालूम हुआ है कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर कर्नाटक सरकार ने यह राशि 5 रुपए से बढ़ा कर 200 रुपए प्रतिमाह कर दी है ।